कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

(8)

कार्यालय–आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/मा/संस्था/सी–3/भौगक्/भौतिक/स्थानांतरण/2020–21/1–176 दिनांक– 04.01.2021 के तहत् श्री सुरेश कुमार सैनी व्याख्याता भौतिक विज्ञान, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बुहाना (झुन्झुनूं) का स्थानांतरण राउमावि चुंटीसरा (नागौर) किया गया। श्री सुरेश कुमार सैनी ने इस स्थानान्तरण आदेश के विरूद्ध राजस्थान अपील अधिकरण, जयपुर में अपील संख्या 872/2021 सुरेश कुमार सैनी बनाम राज. सरकार एवं अन्य दायर की गई।

अपील संख्या 872/2021 में माननीय अधिकरण द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.02.2021 द्वारा अपीलार्थी श्री सुरेश कुमार सैनी को प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपनी अपील में वर्णित आधारों पर एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करने और प्रस्तुत अभ्यावेदन प्राप्त होने उसे राज्य सरकार व विभागीय दिशा निर्देशों एवं नियमों के अन्तर्गत एक आख्यात्मक आदेश प्रस्तारित कर निस्तारित करने और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को देने के निर्देश प्रदान किए है।

माननीय अधिकरण निर्णय के क्रम में अपीलार्थी श्री सुरेश कुमार सैनी द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत कर स्वयं के पैर में स्टील रोड डली होने, अपीलार्थी के माता जी के कृत्रिम घुटना प्रत्यारोपित किये जाने एवं पिताजी के लीवर एवं किडनी की बीमारी से ग्रसित होने के आधार पर अपना पदस्थापन 1. राउमावि इस्लामपुर (झुन्झुनूं) 2. आर.पी., सीवीईओ चिड़ावा, झुन्झुनूं 3. राउमावि बाकरा (झुन्झुनूं) में किये जाने की परिवेदना प्रस्तुत की गई।

अपीलार्थी के अभ्यावेदन का माननीय अधिकरण द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.02.2021 एवं राज्य सरकार और विभाग के दिशा निर्देशों/परिपत्रों और नियमों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण कर उनकी मांग पर विचार किया गया। यह विधि सुस्थापित सिद्धान्त है कि इच्छित स्थान पर पदस्थापन की मांग अधिकार पूर्वक नहीं की जा सकती। अपीलार्थी द्वारा धारित व्याख्याता का पद राज्य सेवा के राजपत्रित स्तर का पद है, और नियोक्ता द्वारा उन्हें छात्र हित/राज्य हित अथवा प्रशासनिक कारणों से राज्य में कहीं पर भी पदस्थापन/स्थानान्तरण किया जा सकता है। अपीलार्थी नवीन पदस्थापित स्थान पर दिनांक 24.02.2021 पर कार्यग्रहण कर चुका है।

उपर्युक्त परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए अपीलार्थी द्वारा की गई मांग नियमानुकूल नहीं होने के कारण इनका अभ्यावेदन एतद् द्वारा खारिज किया जाकर निस्तारित किया जाता है।

सभी संबंधित पक्षकार सूचित हो।

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस.
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा/माध्य/सी–3/भौगक्/अभ्यावेदन/सुरेश सैनी/अपील सं.872/2021/15 दिनांकः 17/03/21

➢ प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. संयुक्त विधि परामर्शी शिक्षा (विधि प्रकोष्ठ) विभाग जयपुर।
2. संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा।
3. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) स्कूल शिक्षा
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा
5. जि.शि.अ. (माध्य–विधि) जयपुर।
6. विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा।
7. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
8. संबंधित प्रधानाचार्य
9. संबंधित कार्मिक
10. गार्ड पंजिका।

संयुक्त–निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

D:/17.12.16/desktop/court